

WESTERN RAILWAY

P.S.No.13/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EC1136/4/New Catering Policy-10

Date: 18.01.2011


To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: New Catering Policy – 2010 – Restoration of catering posts transferred to IRCTC..

=====

A copy of Railway Board's letter No. E(NG)-I-2003/TR/10 dated 28.12.2010 (RBE No. 187/2010) is reproduced below for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.


(TG Khanchandani)
For General Manager(E)

Copy of Rly Bd's letter No. E(NG)-I-2003/TR/10 dated 28.12.2010 (RBE No. 187/2010) addressed to the General Manager(P), Indian railways and production units.

Sub: New Catering Policy – 2010 – Restoration of catering posts transferred to IRCTC.

=====

As the Railways are aware, with the announcement of New Catering Policy-2010, all the catering activities are to be taken over by the Railways. In order to revive departmental catering activities as envisaged in the said policy, the matter has accordingly been considered carefully by the Board in consultation with both the Federations and it has been decided to adopt the following procedure to streamline the cadre being revived.

Creation of cadre and posts :- (I) At the time of formation of IRCTC, approximately 5269 staff alongwith their posts (1284 Group 'C' and 3985 Group 'D' now placed in Group 'C') were transferred to IRCTC in terms of Board's letter of even number dated 31.3.2003. The details as obtained from Railways are given in Annexure 'A'. These figures are provisional and Railways have to restore the posts which were

actually surrendered. As a first step, these 5269 posts break-up as indicated against each Railway may be revived in the catering department. Restoration of posts as on 31.3.2003 will not require any money value from the vacancy bank because as per the instructions the surrendered money value was not to be credited to vacancy bank. In case any Railway has credited the amount in vacancy bank the same should be taken back for the restoration of the post.

(ii) Additional post required, commensurate to present workload, beyond the sanctioned strength as on 31.3.2003, normal procedure of creations of posts may be followed in consultation with their Associate Finance.

3. Manning of the posts:-

- i) The following three categories of erstwhile catering staff are available in the Railways;
- Existing skeleton staff in the catering department.
 - Staff repatriated from IRCTC awaited redeployment
 - Original catering staff (who were on deemed deputation) who have been returned from IRCTC and have already been redeployed in other departments and
 - Staff who are on deemed deputation to IRCTC and awaiting repatriation.

(ii) In order to take the advantage of their past experience, option may be called for from the original catering staff who, at the time of formation of IRCTC, opted to remain in the Railways and have been redeployed in other departments after being declared surplus. Remaining other staff as described under item No. (a), (b) & (d) would not be given any option and allowed to work in catering cadre only.

4. Seniority: The seniority of the above staff including the staff who opts for catering department vide 3(i)(b) maybe assigned to the position existed before they were transferred to IRCTC as on 31.3.2003. In order to bring the staff of catering department at par with others, it has been decided, as an incentive, that the posts as on 31.3.2003, will be restructured as the table given below:-

Category	Pay Scale	%age Structured in 1993	6th Structure CPC	Suggested Structure as 1.1.2011
Catering Inspectors	2000-3200/6500-10500	15	PB-2, GP-4600	17
	1600-2660/-5500-9000	20	PB-2, GP-4200	48
	1400-2300/5000-8000	25		
	1200-2040/4000-6000	20	PB-1, GP-2400	20
	975-1540/3200-4800	20	PB-2, GP-2000	15

Bill Issuer/ Catering Stores Clerks	975-1540/3200-4900	45	PB-1 GP-2000	60
	825-1200/2750-4400	55	PB-1, GP-1800	40
Commercial Cooks	1320-2040/5000-8000	15	PB-2, GP-4200	20
	1200-1800/4500-7000	25	PB-1, GP-2800	30
	950-1500/3050-4590	30	PB-1, GP-1900	25
	800-1150/2650-4000	30	PB-1, GP-1800	25
Head Waiter/ Head Bearer (Comm)	825-1200/2750-4400	50	PB-1, GP-1800	100
	800-1150/2650-4000	50		

5. The post will be upgraded within the financial neutrality. The upgraded post may be filled up from the staff through promotion as per procedure to be issued separately.

5. The upgradation of posts is provisional.

This issue with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board

Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt.

DA: As above.

Annexure 'A' to Board's letter No. E(NG)I-2003/TR/10 dated 28.12.2010

Details of deemed deputationists staff (zone wise)		
Railway	Total no. of staff went to IRCTC On deemed deputation.	
	Gr. 'C'	Gr. 'D'
CR	217	430
ER	151	570
NR	60	206
NER	19	45
NFR	40	9
SR	271	901
SCR	153	473
SER	70	307
WR	138	345
EGR	42	168
ECoR	35	213
NCR	56	190
NWR	5	107
SECR	4	47
SWR	10	65
WCR	4	9
TOTAL	1284	3985

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.13/2011

प्रधान कार्यालय,
चर्चोट, मुंबई.

सं.ई सी 1136/4/नई खानपान नीति-10

दि. 18-01-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.


प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म., एसो. 'वेस्ट' हॉन,मुंबई.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी,एसोसिएशन, मुंबई.

विषय : नई खानपान नीति-2010 - भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को ट्रांसफर किए गए खानपान पद बहाल करना ।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2010 के पत्र सं.ई (एनजी)1/2003/टी आर/10 (आर बी ई सं.,187/2010)की प्रति आपके सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही हेतु निचे उद्धृत की जाती है ।

संलग्न : यथोक्त


(थाऊँ खानचंदानी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यो को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2010 के पत्र सं.ई (एनजी)1/2003/टी आर/10 (आर बी ई सं.,187/2010) की प्रतिलिपी ।

विषय : नई खानपान नीति-2010 - भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को ट्रांसफर किए गए खानपान पद बहाल करना ।

जैसा कि रेलों को अवगत है, नई खानपान नीति-2010 की घोषणा होने से सभी खानपान कार्य रेलों द्वारा लिए जाने हैं । उक्त नीति में दिए गए अनुसार, विभागीय खानपान कार्य फिर से शुरू करने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा दोनों फेडरेशनों के परामर्श से तदनुसार मामले पर

सावधानीपूर्वक विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि संवर्ग को सुप्रवाही ढंग से पुनः चालू करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए।

2. संवर्ग तथा पदों का सृजन - (i) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम बनाने के समय, बोर्ड के दिनांक 31.03.2003 के समसंख्यक पत्र के अनुसार लगभग 5269 कर्मचारी (1284 ग्रुप 'सी' तथा 3985 ग्रुप 'डी' जिन्हें अब ग्रुप 'सी' में रखा गया है) उनके पदों के साथ स्थानांतरित किए गए थे। रेलों से प्राप्त ब्यौरे अनुबंध 'क' पर दिए गए हैं। ये आंकड़े अंतरिम हैं तथा रेलवे पद बहाल करने हैं जो वास्तव में सरेंडर कर दिए गए थे। पहले चरण के रूप में, इन 5269 जिनका ब्यौरा प्रत्येक रेलवे के सामने दर्शाया गया है, को खानपान विभाग में पुनः बहाल किया जायेगा। 31.03.2003 को मौजूद पदों को बहाल करने के लिए रिक्ति बैंक से कोई धनराशि अपेक्षित नहीं होगी क्योंकि अनुदेशों के अनुसार सरेंडर की गई धनराशि रिक्ति बैंक को क्रेडिट नहीं की गई है। यदि किसी रेलवे ने रिक्ति बैंक में राशि क्रेडिट की हो तो पद को बहाल करने के लिए उसे वापस लिया जाए।

(ii) 31.03.2003 को स्वीकृत संख्या के अलावा मौजूदा कार्यभार के अनुरूप अपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए, उनके संबंधित वित्त के परामर्श से पदों के सृजन की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

3. पदों पर तैनाती करना

(i) रेलों पर पूर्ववर्ती खानपान कर्मचारियों की निम्नलिखित तीन कोटियां उपलब्ध हैं:-

(क) खानपान विभाग में थोड़े से मौजूदा कर्मचारी

(ख) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम से वापस आए कर्मचारी जिनकी तैनाती करनी है।

(ग) मूल खानपान कर्मचारी (जो प्रतिनियुक्ति पर माने गए थे) जो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम से वापस आ गए हैं तथा जिनकी अन्य विभागों में पहले से तैनाती कर दी गई है और

(घ) कर्मचारी जो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने गए हैं तथा जो वापस भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ii) उनके विगत के अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से, उन मूल खानपान कर्मचारियों से विकल्प मांगा जा सकता है जिन्होंने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के बनने के समय रेलों में ही रहने का विकल्प दिया था तथा जिन्हें सरप्लस घोषित किए जाने के कारण अन्य विभागों

में तैनात कर दिया गया है। मद सं. (क), (ख) एवं (घ) में दिए गए अन्य शेष कर्मचारियों को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा तथा उन्हें केवल खानपान संवर्ग में ही कार्य करने की अनुमति होगी।

4. **वारिष्ठता** - उन कर्मचारियों जिन्होंने 3 (i) (ख) द्वारा खानपान विभाग के लिए विरक्त किया है, सहित उपर्युक्त कर्मचारियों को वही वरीयता दी जाए जो 31.03.2003 को भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम में जाने से पहले थी। खानपान विभाग के कर्मचारियों को कर्मचारियों के बराबर लाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन के रूप में यह निर्णय लिया गया है 31.03.2003 को मौजूद पदों की नीचे सारणी में दिए गए अनुसार पुनर्संरचना की जाएगी :-

कोटि	वेतनमान	1993 की संरचना प्रतिशत	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में संरचना	01.01.2011 को प्रस्तावित संरचना
खानपान निरीक्षक	2000-3200/-	15	पीबी-2, ग्रेड पे-4600	17
	6500-10500			
	1600-2660/-			
	5500-9000	20	पीबी-2, ग्रेड पे-4200	48
	1400-2300/-		पीबी-2, ग्रेड पे-2400	20
	5000-8000			
	1200-2040/-	25	पीबी-1, ग्रेड पे-2000	15
	4000-6000			
	975-1540/-			
3200-4900	20			
	20			
बिल जारी करनेवाला/ खानपान भंडार क्लर्क	975-1540/ 3200-4900	45	पीबी-1, ग्रेड पे-2000	60
	825-1200/ 2750-4400	55	पीबी-1, ग्रेड पे-1800	40

वाणिज्यिक कुक	1320-2040- 5000-8000	15	पीबी-2, ग्रेड पे-4200	20
	1200-1800/ 4500-7000	25	पीबी-1, ग्रेड पे-2800	30
	950-1500/ 3050-4590	30	पीबी-1, ग्रेड पे-1900	25
	800-1150/ 2650-4000	30	पीबी-1, ग्रेड पे-1800	25
हेड वेटर/ हेड बैरा (वाणिज्य)	825-1200/ 2750-4400	50	पीबी-1, ग्रेड पे-1800	100
	800-1150/ 2650-4000	50		

5. पद वित्तीय न्यूट्रैलिटी के अधीन अपग्रेड किए जाएंगे। अपग्रेड किए गए पद कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएं जो अलग से जारी की जाएगी।

6. पदों का अपग्रेडेशन अंतरिम है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

Annexure 'A' to Board's letter No. E(NG)-2003/TR/10 dated 28.12.2010

Railway	Total no. of staff went to IRCTC On deemed deputation.	
	Gr. 'C'	Gr. 'D'
CR	217	430
ER	151	570
NR	60	206
NER	19	45
NFR	40	9
SR	271	901
SCR	153	473
SER	70	307
WR	138	345
ECR	42	168
ECOR	35	213
NCR	56	190
NWR	5	7
SECR	4	47
SWR	19	65
WCR	4	9
TOTAL	1264	3965